FSS (Prohibition & Restriction on Sales) Regulation, 2011

(2)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933

No. 155] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
LIBRARY AND RESOURCE CENTRE

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा.सं. 2-15015/30/2010 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 26 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (झ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

प्रारूप विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3 खण्ड 4 में तारीख 20 अक्तूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से 30 दिन की अवधि के अवसान से पहले, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्तूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्धारित अवधि के अंदर पणधारियों से आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

इसलिए अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन)

विनियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

भाग 1.1 : नाम और प्रारंभ

विनियम 1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 है।

विनियम 1.1.2 : ये विनियम 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएं-

इन नियमों से जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1. ''संघटक'' से कोई पदार्थ, जिसमें खाद्य विनिर्माण या निर्मिति में उपयोग किए जाने वाला खाद्य संयोस्य और जो अन्तिम उत्पाद में संभवत् उपांतरित रूप में विद्यमान है, अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन

2.1 : कतिपय सम्मिश्रणों के विक्रय का प्रतिषेध

2.1.1 : लेबलीकरण और पैकेजिंग के 2.7 भाग के उपबंधों के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी सेवक या अभिकर्ता के द्वारा निम्नलिखित का विक्रय नहीं करेगा–

(1) क्रीम जो दूध से आत्यंतिक रूप से निर्मित नहीं है या जिसमें दुग्ध वसा 25 प्रतिशत से कम है;

(2) दूध जिसमें जल मिलाया गया जल अंतर्विष्ट है;

(3) घी, जिसमें ऐसा कोई पदार्थ मिलाया गया है जो आत्यंतिक रूप से दुग्ध वसा से उद्भूत नहीं है;

(4) दूध की जगह (वसा निष्कासित) मखनिया दूध;

(5) खाद्य तेल के रूप में दो या दो से अधिक खाद्य तेल का मिश्रण;

(6) वनस्पति जिसमें घी या कोई अन्य पदार्थ मिलाया गया है;

(7) हल्दी जिसमें कोई विजातीय पदार्थ सम्मिलित है;

(8) कासनी को छोड़कर काफी और किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण;

(9) दही जो उबाले हुए पास्तरीकृत या विसंक्रमित दुग्ध से तैयार नहीं किया गया है;

(10) सिवाए इन विनियमों में उपबंधित के खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा मानक और खाद्य योज्यिक) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट दूध या कोई दूध उत्पाद जिसमें कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो दूध में मूलत: नहीं पाया जाता है।

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा काफी के विलेय निष्कर्षणों से बनाई गई निर्मितियों को इस नियम में प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

परंतु यह और कि विनियम 2.1.1(8) से संबंधित सांपत्तिक खाद्य वस्तुओं को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट प्राप्त होगी।

परंतु यह भी कि विनियम 2.1.1 (5) की बाबत लावी–बांड स्केल पर एक सेंटीमीटर सेल में 15.0 रेड यूनिट की अधिकतम सहायता तब अनुज्ञात है, जब तेल का तनुकरण के बिना, अर्थात् 5.0 मि.ली. के नमूने को 5.0 मि.ली. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (विनिर्दिष्ट घनत्व 1.10) तथा फरफ्यूरल के 2.0 प्रतिशत एल्कोहालिक घोल का 0.3 मि.ली. के साथ दो मिनट अच्छी हिलाकर और 5 मिनट उसी स्थिति में रखकर, बोडोयूइन परीक्षण के लिए परीक्षण किया जाता है।

परंतु यह भी कि विनियम 2.1.1(5) की बाबत लावी-बांड स्केल पर 1 सेंटीमीटर सेल में 10 रेड यूनिट की अधिकतम सहयता तब अनुज्ञात है, जब तेल का तनुकरण के बिना हाल्फेन के परीक्षण के लिए परीक्षण किया जाता है, अर्थात् 5 मिली लीटर के नमूने को 5 मि.लि. सल्फर घोल (एमाइन एल्कोहाल की समान मात्रा के साथ मिश्रित कार्बन डाईसल्फाइड में सल्फर का एक प्रतिशत (भाग/आयतन) के साथ संवृत तंत्र परीक्षण नली (250 X 25 सें. मी.) में हिलाकर, कुछ मिनट के लिए ऊष्ण जल (70° सें.-800° सें.) में इसे बीच-बीच में हिलाकर तब तक गर्म किया जाएगा जब तक कि कार्बन डाइसल्फाइड अपक्वथित न हो जाए और नमूने में फेनन बंद न हो जाए वहां तत्पश्चात् नली ऐसे संतृप्त लवण जल वात (सेच्युरटेड ब्राइन वात) पर रखी जाएगी जो 2.5 घंटे तक 110° सें. - 115° सें. में विनियमित किए जाने योग्य हो।

परंतु यह भी कि विनियम 2.1.1(5)में प्रतिषेध ऐसे दो वनस्पति तेलों के अधिमिश्रण के खाद्य वनस्पति तेल के रूप में मामले में अप्रवर्तनीय रहेगा, जहां-

(क) अधिमिश्रण में प्रयोग किए गए किसी खाद्य वनस्पति तेल का भार के अनुसार अनुपात 20 प्रतिशत से कम न हो; और

(ख) खाद्य वनस्पति तेलों के अधिमिश्रण का संसाधन या पैकिंग और विक्रय भारत सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग (वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय) द्वारा या विभाग द्वारा प्राधिकृत पब्लिक, प्राइवेट या मिश्रित सेक्टर में अभिकरणों द्वारा या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, तिलहन और वनस्पति तेल परियोजना के अधीन स्थापित राज्य सहकारी तिलहन ग्रोवर्स फेडरेशन या क्षेत्रीय और जिला सहकारी तिलहन/ग्रोवर्स संघ द्वारा या केंद्रीय और राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा, ऐसे सील किए गए पैकेजों में जिनका भार 15 कि.ग्रा. से अधिक न हो, अनिवार्य रूप से एग्मार्क प्रमाणन चिह्न के अधीन और जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.2(ii) में यथा विनिर्धारित घोषणा लेबल के साथ किया जाता होय और

(ग) अधिमिश्रण में प्रयोग किए गए प्रत्येक खाद्य तेल की क्वालिटी, इन विनियमों द्वारा विहित सुसंगत मानकों के अनुरूप हो।

2.2 कतिपय संघटकों के उपयोग पर निर्बंधन :

2.2.1 किसी राज्य में कोई व्यक्ति ऐसी तारीख से, जो संबंधित राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित नहीं करेगा या किसी वर्णन के अधीन विक्रय के प्रयोजन के लिए या विक्रय के लिए आशयित किसी खाद्य पदार्थ की विनिर्मिति के संघटक के रूप में प्रयोग करने के लिए अपने कब्जे में नहीं रखेगा :-

(क) केसरी चना (लेथिरस सेटाइवस) और इसके उत्पाद,

(ख) केसरी दाल (लेथिरस सेटाइवस) और इसके उत्पाद,

(ग) केसरी दाल आटा (लेथिरस सेटाइव) और इसके उत्पाद,

(घ) केसरी चना (लेथिरस सेटाइवस) बंगाल चना (सीसर एरिटिनम) या किसी अन्य चने का सम्मिश्रण,

(ङ) केसरी दाल (लेथिरस सेटाइवस) और बंगाल चना दाल (सीसर एरिटिनम) या किसी अन्य दाल का सम्मिश्रण,

(च) केसरी दाल (लेथिरस सेटाइवस) आटा और बंगाल चना (सीसर एरिटिनम) आटा या किसी अन्य आटे का सम्मिश्रण,

स्पष्टीकरण - कुछ भारतीय भाषाओं में केसरी चना के समानार्थी निम्न प्रकार हैं :-

1.	असमिया	खेसरी, त्योरा।
2.	बंगला	खेसरी, त्योरा, मसूर, बतूरा।
3.	बिहारी	खेसारी, त्योरा, मसूर, बतूरा।
4.	अंग्रेजी	चिकलिंग वैच।
5.	गुजराती	लांग।
6.	हिंदी	खेसरी, कसूर, कसारी, कसार, तिवरी, बतूरा, चपरी, दुबिया, कन्सारी, कसोरी, लतरी, तिनरा, तिउरी, कसोर।
7.	कन्नड	लाकी बैल, केसरी बेल।

8.	मलयालम	केसरी, लाकी, वाट्टू
9.	तमिल	मूक्कू।
10.	मराठी	लखेरी, बतरी, लावी, लांग, मुतरा, त्योरा, बतरोली की दाल, लाख।
11.	उड़िया	खेसरा, खेसरी, खेसारी दाल।
12.	फारसी	मसांग।
13.	पंजाबी	किसारी, चूरल, करस, करिल, कासा, केसरी, चापा।
14.	संस्कृत	सडिका, त्रिपुती।
15.	सिंधी	मटेर।
16	तेलुगू	लमका।

2.3 कतिपय उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन

2.3.1 खनिज तेल से विलेपित खाद्य वस्तुओं के विक्रय पर प्रतिषेध :

कोई व्यक्ति, ऐसी खाद्य वस्तुओं का, जो खनिज तेल से विलेपित हैं, सिवाय तब के जब खनिज तेल का मिलाया जाना इन विनियमों और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज) विनियम, 2011 के अध्याय 5 में विनिर्धारित मानकों के अनुसार अनुज्ञात किया जाता है, विक्रय नहीं करेगा या उन्हें विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित नहीं करेगा या किसी भी वर्णन के अधीन विक्रय के प्रयोजन के लिए अपने परिसर में नहीं रखेगा।

2.3.2 कार्बिया केलोसा और मधु बिंदु के विक्रय पर निर्बंधन :

कार्बिया केलोसा और मधु बिंदु एग्मार्क के मुहरबंद आधानों में ही बेचे जाएंगे।

2.3.3 मधु के सदृश खाद्य को जो शुद्ध मधु नहीं है, मधु के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा :

कोई व्यक्ति किसी ऐसे खाद्य के जो मधु के सदृश है किंतु मधु नहीं है, लेबल या किसी पैकेज पर या उसके किसी विज्ञापन पर 'मधु' शब्द का या किसी ऐसे शब्द, चिह्न, दृष्टांत या युक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जो मधु को इंगित करता है।

2.3.4 : उत्पाद में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है :

किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2.3.5 : फलों को पकाने में काबाईड गैस के प्रयोग पर प्रतिषेध :

कोई भी व्यक्ति ऐसे फलों का, जो कार्बइड के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात एसीटिलीन गैस का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से पकाए गए हैं विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित नहीं करेगा या किसी भी वर्णन के अधीन विक्रय के प्रयोजन के लिए अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

2.3.6 : ताजे फलों और सब्जियों का विक्रय :

ताले फल और सब्जियां ग़ली-सड़ी नहीं होंगी और मोम, खनिज तेल और रंगों के आलेपन से मुक्त होंगी।

परंतु ताजे फल मधुमक्खी के मोम सफेद और पीले या शैल मोम से खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5(44) में यथा उपबंधित उचित लेबल घोषणा के अधीन उत्तम विनिर्माण पद्धति के स्तर से अनधिक स्तर तक आलेपित किया जा सकेगा।

2.3.7 : घी या मक्खन के सम्मिश्रण का विक्रय या विक्रय के लिए प्रयोग का प्रतिषेध :

कोई व्यक्ति घी या मक्खन के मिश्रण का और ऐसे किसी पदार्थ का, जो

(1) घी या मक्खन की नकल के रूप में या उसके स्थान पर तैयार किया गया है, या

(2) जिसमें ऐसा कोई तेल या वसा सम्मिलित या अंतर्विष्ट है जो घी की परिभाषा के अनुरूप ही नहीं है, विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए या किसी खाद्य पदार्थ की निर्मिति में संघटक के रूप में प्रयोग के लिए अपने कब्जे में नहीं रखेगा;

परंतु जहां इस नियम द्वारा प्रतिषिद्ध मिश्रण किसी खाद्य पदार्थ की तैयारी के लिए अपेक्षित है वहां ऐसा सम्मिश्रण ऐसे खाद्य पदार्थ को तैयार करने के समय ही बनाया जाएगा।

2.3.8 : जिस क्षेत्र में घी का विक्रय किया जाता है उस क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट राइकर्ट मान से कम के घी के विक्रय पर निर्बंधन;

(1) उस घी का, जिसमें उससे कम राईकर्ट मान है और जो 40° सें. पर बुटाइरे रिफ्रेक्टोमटर पठन के लिए उससे भिन्न मानक का है जो उस क्षेत्र के लिए, जिसमें घी का विक्रय या भंडारकरण के लिए आयात किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया गया उस क्षेत्र में विक्रय या भंडारकरण 'एग्मार्क' की सील के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

परंतु ऐसा घी -(i) 'एग्मार्क' के मुहरबंद आधान को खोलने के पश्चात् एक समय पर अधिक से अधिक दो किलोग्राम की मात्रा में खुला हुआ बेचा जा सकेगा, और (ii) कन्फैक्शनरी (जिसके अंतर्गत मिठाइयां भी हैं) तैयार किए जाने में प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो -

(i) ऐसे घी का विनियम 2.3.8 (1)में विनिर्दिष्ट रीति में विक्रय करता है, और

(ii) ऐसा कन्फैक्शनरी (जिसके अंतर्गत मिठाइयां भी हैं) का, विक्रय करता है जिसको तैयार करने में ऐसे घी का प्रयोग किया जाता है, प्ररूप 'क' में एक घोषणा खाद्य निरीक्षक उस समय देगा जब वह अधिनियम की धारा 47 के अधीन उसका एक नमूना विश्लेषण के लिए लेता है और अधिनियम की धारा 40 के अधीन नमूने का विश्लेषण कराने की वांछा रखने वाले क्रेता को भी देगा।

(iii) यदि विश्लेषण पर ऐसे नमूने के बारे में यह पाया जाता है कि वह उस क्षेत्र के लिए विहित क्वालिटी के मानकों के अनुरूप है जहां उसको उत्पादित किए जाने का अभिकथन किया जाता है तो घी को केवल इस कारण अपमिश्रित नहीं समझा जाएगा कि वह उस क्षेत्र के लिए, जहां वह बेचा जाता है, विहित क्वालिटी के मानकों के अनुरूप नहीं है।

2.3.9 : त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल में उत्पादित तिल के तेल के विक्रय पर निर्बंधन;

त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल में उगाए गए सफेद तिल के बीज से प्राप्त तिल का तेल जिसके मानक तिल के तेल के लिए विनिर्दिष्ट मानक से भिन्न हैं एग्मार्क के लेबल लगे मुहरबंद आधानों में बेचा जाएगा। जहां इस तिल के तेल का विक्रय एग्मार्क का लेबल लगाए बिना किया जाएगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जाएगा वहां तिल के तेल के लिए दिया गया मानक लागू होगा।

2.3.10 कांगड़ा चाय के विक्रय पर निर्बंधन :

कांगड़ा चाय का विक्रय या उसे विक्रय के लिए प्रस्थापित कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उसका श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के पश्चात् ही किया जाए।

2.3.11 सुवासक चाय के विक्रय के लिए शर्त :

सुवासक चाय केवल उन विनिर्माताओं द्वारा विक्रय की जाएगी या विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाएगी, जो चाय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हैं। लेबल पर रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। यह खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (23) में यथा उपबंधित लेबल पर घोषणा के साथ केवल पैक की गई दशाओं में बेची जाएगी।

2.3.12 सामान्य नमक के विक्रय पर निर्बंधन :

कोई भी व्यक्ति तब तक सामान्य नमक की विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए उसे अपने परिसर में नहीं रखेगा जब तक कि उसे सीधे मानव उपभोग के लिए आयोडीन युक्त नहीं बना दिया जाता है :

परंतु सामान्य नमक का, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (21 और 42) में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेबल घोषणा के अधीन आयोडीनिकरण, लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग, परिरक्षण, औषधि विनिर्माण और औद्योगिक उपयोग के लिए विक्रय किया जा सकेगा या उसे विक्रय के लिए रखा जा सकेगा या विक्रय के लिए भंडारित किया जा सकेगा।

2.3.13 प्राकृतिक रूप से मृत पशुओं या कुक्कुटादि के मांस के उपयोग का प्रतिषेध :

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पशु या कुक्कुटादि का जिसकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है, विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए आशयित किसी खाद्य पदार्थ को तैयार करने में संघटक के रूप में प्रयोग नहीं करेगा।

2899 GI/11-2

2.3.14 विक्रय और अनुज्ञप्ति की शर्तें :

1. कोई भी व्यक्ति उन्हीं परिसरों में जिनमें खाद्य पदार्थ भंडारकृत, विनिर्मित या विक्रय के लिए रखे जाते हैं, कोई कीटनाशी भंडारकृत नहीं करेगा, विक्रय के लिए नहीं रखेगा या उनका विक्रय अनुज्ञात नहीं करेगा :

परंतु इस उपनियम की कोई भी बात उन अनुमोदित घरेलू कीटनाशियों को लागू नहीं होगी जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए 'कीटनाशी' शब्द का वही अर्थ है जो उसका कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में है।

2. कोई व्यक्ति किसी 'वाणिज्यिक स्थापन' में खानपान और कटलरी में प्रयुक्त प्लास्टिक वस्तुओं में खाद्य का तब तक न तो विक्रय करेगा न ही उसे परोसेगा जब तक कि खानपान और कटलरी वस्तुओं में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री इन विनियमों में विनिर्दिष्ट खाद्य श्रेणी प्लास्टिक के अनुरूप नहीं है।

स्पष्टीकरण : विनिमय 2.3.14(2) के प्रयोजन के लिए, 'वाणिज्यिक स्थापन' से अभिप्रेत है किसी भी नाम से ज्ञात कोई ऐसा स्थापन जो/जिसका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरण द्वारा या किसी ऐसे निगमित/रजिस्ट्रीकृत निकाय द्वारा चलाया जा रहा है/ प्रबंध किया जा रहा है, जो खाद्य का विक्रय करने या उसे परोसने के कारबार में लगा हुआ है।

3. लौह प्रबलित सामान्य नमक का विक्रय केवल उच्च घनत्व वाले पालिथिलीन लिफाफे (एचडीपीई) (14 मेश, घनत्व 100 कि.ग्रा./एम^3 अलेमिनेटेड) के पैकेज में किया जाएगा जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के विनियम 2.4.5 (21 और 42) में यथा विनिर्दिष्ट लेबल लगा होगा।

4. कोई भी व्यक्ति सिवाय भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न के अधीन ऐसे किसी शिशु दुग्ध आहार, शिशु फार्मूला और दुग्ध अनाज आधारित अपस्तर आहार का विनिर्माण, विक्रय भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

5. संघनित मधुरित दूध, संघनित मखनिया मधुरित दूध, दुग्ध चूर्ण, मखनिया दुग्ध चूर्ण, भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण और भागत: मखनिया मधुरित संघनित दूध भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिह्न के सिवाय नहीं बेचा जाएगा।

6. नाइटामाइसिन से उपचारित सतह वाले पनीर (कठोर) के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (33) में यथा विनिर्दिष्ट लेबल लगा होगा।

7. कोई व्यक्ति प्रोटीनयुक्त आटा और प्रोटीनयुक्त मैदा का विक्रय, लेबल पर संघटकों के नाम का उल्लेख करते हुए पैक की हुई हालत में ही करेगा, अन्यथा नहीं।

8. कोई भी व्यक्ति बेकरी और कन्फैक्शनरी से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए साल बीज वसा का विक्रय नहीं करेगा और यह परिष्कृत होगा तथा उस में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5(19)में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा का लेबल लगा होगा।

9. कोई भी व्यक्ति भार में 500 ग्राम से अधिक कन्फैक्शनरी का पैक रूप में ही विक्रय करेगा अन्यथा नहीं और टुकड़ों में विक्रय की जाने वाली कन्फैक्शनरी को शीशे के या अन्य उपयुक्त आधानों में रखेगा।

स्पष्टीकरण : विनियम 2.3.16(9) के प्रयोजनों के लिए 'कन्फैक्शनरी' से चीनी क्वथित कन्फैक्शनरी और लोजेज और चयूंइंग गम तथा बबलगम अभिप्रेत है।

10. सभी खाद्य तेलों के सिवाय नारियल के तेल के, जो कच्चे, असंस्कृत या अपरिष्कृत रूप में आयात किए गए हैं, मानवीय उपभोग के लिए विक्रय किए जाने के पहले परिष्करण किया जाएगा। ऐसे तेलों पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.2 में अधिकथित अनुसार लेबल घोषणा लगाई जाएगी।

11. सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेलों का विक्रय खुली अवस्था में नहीं किया जाएगा। इसका विक्रय ऐसे सील किए गए पैकेजों में किया जाएगा जिनका भार 15 कि.ग्रा. से अधिक न हो। इसका विक्रय सम्मिश्रण में प्रयोग किए गए तेल के सामान्य या वंश नाम से भी नहीं किया जाएगा बल्कि इसका विक्रय 'सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल' के रूप में किया जाएगा। सील किए गए पैकेजों का विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.2 विनियमों के अधीन अन्य लेबल अपेक्षाओं के अतिरिक्त के उपबंधों के अनुसार घोषणा लेबल पर एग्मार्क प्रमाण चिह्न के अधीन की जाएगी।

12. रंजित और सुरुचिकारक मारगरीन का विक्रय केवल ऐसे मोहर बंद पैकेज में किया जाएगा जिसका भार 500 ग्राम से अधिक न हो और जिस पर ऐसा लेबल लगा होगा जिसमें नियमों के अधीन अपेक्षित रंग और सुरुचिकारक मिलाए जाने की घोषणा की गई हो।

13. फैट प्रैड का खुले रूप में विक्रय नहीं किया जाएगा। इसका 500 ग्राम से अनधिक वजन के मुहरबंद पैकेजों में विक्रय किया जाएगा। उत्पाद पर लेबल लगाते समय 'मक्खन' शब्द को सहब) नहीं किया जाएगा। मुहरबंद पैकेजों का विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्थापना इन नियमों के अधीन अन्य लेबल लगाने कीं अपेक्षाओं के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के विनियम 2.4.2 के उपबंधों के अनुसार घोषणा लेबल पर एग्मार्क प्रमाणन चिह्न के अधीन ही की जाएगी।

14. कोई भी व्यक्ति एक किलोग्राम वजन से अधिक की मिश्रित हींग (एसफोटिडा) का विक्रय लेबल लगे मुहरबंद आधान में ही करेगा, अन्यथा नहीं।

15. कोई व्यक्ति चूर्णित मसाले का विक्रय पैक दशा में ही करेगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण : विनियम 2.3.16(15)के प्रयोजन के लिए, 'मसाले' से और 'गर्म मसाले' खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के भाग 2.9 में विनिर्दिष्ट मसाले और गर्म मसाले अभिप्रेत हैं।

16. भट्टी पद्धति से तैयार किए गए कत्थे पर भ्भट्टी कत्थाष् सहजदृश्य रूप से अंकित किया जाएगा।

17. कोई व्यक्ति भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न के अधीन के सिवाय पैकेजबंद पेय जल का विनिर्माण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

18. कोई व्यक्ति भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न के अधीन के सिवाय खनिज जल का विनिर्माण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : विनियम 2.3.14(18) के प्रयोजन के लिए 'खनिज जल' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो कि इसका खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अध्याय 2.9.7 में है।

19. कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (24,25,26,28 और 29) में विहित पैक करने की शर्तों और लेबल लगाने की अपेक्षाओं के अनुसार के सिवाय किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं करेगा जिसमें इनमें विनियमों के अधीन कृत्रिम मधुकारक मिलाया जाना अनुज्ञात है।

20. किरणित खाद्य के विक्रय के लिए शर्तें : सभी किरणित खाद्य पूर्व पैक की गई अवस्थाओं में ही विक्रय किया जाएगा। विक्रय के लिए या विक्रय के लिए स्टाक करने के लिए या विक्रय के लिए प्रदर्शन के लिए या विक्रय के लिए भंडारकरण के लिए किरणित खाद्य के लिए प्रयुक्त पैक करने की सामग्री का प्रकार खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.4 में विनिर्दिष्ट पैक करने और लेबल लगाने की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

2.3.15 वनस्पति तेल और वसा से संबंधित विशेष उपबंध :

(1) कोई व्यक्ति किसी ऐसे खाद्य तेल का विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को विक्रय या विक्रय के लिए अभिदर्शन नहीं करेगा, या वितरण नहीं करेगा, या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा, या प्रेषण या परिदान नहीं करेगा, जो –

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और तीन बनाए गए नियमों / विनियमों में यथा उपबंधित गुण के मानकों के अनुरूप नहीं है; और

(ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण के विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति में किसी आधान में पैक नहीं किया गया है, चिह्नित नहीं किया गया है और लेबल नहीं लगाया गया है;

परंतु राज्य सरकार, लोक हित में, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, विशिष्ट परिस्थितियों में और किसी विशिष्ट अवधि के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी खाद्य तेल को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(2) किसी वनस्पति तेल में कोई अपहानिकर रंजक, सुवासक या स्वास्थ्य के लिए हानिकर कोई अन्य पदार्थ नहीं होगा;

(3) नीचे दी गई सूची में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी वनस्पति तेल या तेल या पशु की वसा या खनिज उत्पत्ति का उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग नहीं किया जाएगा या इनमें अन्यथा विद्यमान नहीं होगा;

वनस्पति तेलों की सूची और वनस्पति, जिससे यह तैयार किया जाएगा :

(क) नारियल का तेल

(ख) बिनौले का तेल

(ग) धूपा का तेल

(घ) मूंगफली का तेल

(ङ) कोकरम का तेल

(च) तीली का तेल

(छ) महुआ का तेल

(ज) मक्का का तेल

(झ) आम की गुठली का तेल

(ञ) सरसों / तोरिया का तेल

(ट) सर्जिया का तेल

(ठ) ताड़ का तेल

(ढ) फलवाड़ा का तेल

(ड) चावल चोकर तेल

(ण) सूरजमुखी (कार्ड/बीज) का तेल

(त) साल के बीज का तेल (10 प्रतिशत तक)

(थ) शीशम का तेल

(द) सोयाबीन का तेल

(ध) सूरजमुखी का तेल

(न) तरबूज के बीच का तेल

(प) खाद्य प्रयोजनों के लिए आयातित वनस्पति तेल :

(4) हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल में कोई रंग तब तक नहीं मिलाया जाएगा जब तक कि खाद्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा किया जाना प्राधिकृत न किया जाए, किंतु किसी भी स्थिति में घी के रंग के सदृश कोई रंग नहीं मिलया जाएगा। यदि किसी सुवास का उपयोग अनुज्ञेय सुवासों की सूची के अनुसार और ऐसी मात्रा में, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, किया गया है तो यह घी से भिन्न होगा।

(5) किसी वनस्पति तेल में कोई प्रति-आक्सीकारक, सहक्रियात्मक, पायसीकारक या कोई अन्य ऐसा पदार्थ सिवाय केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के नहीं मिलाया जाएगा।

(6) विलायक के उपयोग पर निर्बंधन

एन-हक्सेन से भिन्न किसी विलायक का उपयोग कोका बटर, तेल, वसा और खाद्य सोया आटा के निष्कर्षण में नहीं किया जाएगा।

नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित विलायक की मात्रा, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित खाद्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विहित सह्याय सीमाओं से अधिक नहीं होगी :

सारणी

विलायक कानाम	खाद्य पदार्थ	सह्याय सीमा मि.ग्रा. / कि.ग्रा./ (पीपीएम)
हक्सेन (खाद्य श्रेणी)	(क) परिष्कृत विलायक निष्कर्षित कोका बटर	5.00
	(ख) परिष्कृत विलायक निष्कर्षित तेल और वसा	5.00
	(ग) विलायक निष्कर्षित खाद्य सोया आटा	10.00

प्ररूप क

(विनियम 2.3.8(2) देखें)

घोषणा

मैं/हम ----------की ओर से सत्यानिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कन्फैक्शनरी(मिठाइयों सहित) ----------की ओर से विक्रय किया गया घी /----------की ओर से मेरे/हमारे द्वारा प्रयुक्त किया गया घी ----------टिन का----------का बनाया हुआ घी है/था जिसमें ☐ एग्मार्क मुहर है/थी। उक्त टिन बीजक/नकद/उधार ज्ञापन के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी/सर्वश्री ---------- ---------- के बैच संख्यांक सं संबंधित है।

सं.---------- तारीख----------

व्यापारी/व्यापारियों के हस्ताक्षर

तारीख----------

स्थान ----------

वी. एन. गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/187-ओ/11/असा.]

2899 GI/11-3